बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

बिहार सरकार

पत्रांक– 10 नि0 (कुक्कुट) 06 / 2025 ....1958 (नि0)........ दिनांक–..23/05../ 2025

वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय स्वीकृति आदेश पत्र संख्या–6 एस0 एस0 (6) 40/2014 (खण्ड) –2200 दिनांक–20.05.2025 के आलोक में राज्य स्कीम अन्तर्गत "समेकित मुर्गी विकास योजना" के तहत "लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना" के सफल कार्यान्वयन हेतु "कार्यान्वयन अनुदेश"

वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय स्वीकृति आदेश पत्र संख्या–6 एस0 एस0 (6) 40/2014 (खण्ड)–2200 दिनांक–20.05.2025 के द्वारा कुल **1181.50** लाख (**रूपये ग्यारह करोड़ एकासी लाख पचास हजार**) मात्र की अनुमानित लागत पर राज्य स्कीम अन्तर्गत "समेकित मुर्गी विकास योजना" के तहत के तहत "लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना" के अन्तर्गत लेयर मुर्गी फार्म (10000 लेयर मुर्गी की क्षमता फीड मिल सहित एवं **5000** लेयर मुर्गी क्षमता) की स्थापना लागत पर 30 प्रतिशत अनुदान (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों हेतु 40 प्रतिशत) तथा चार वर्षों तक बैंक ऋण के ब्याज (Interest Component) पर **50** प्रतिशत राशि अनुदान देकर लेयर मुर्गी पालन को प्रोत्साहित करने की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृति आदेश की कंडिका–9 के आलोक में योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु निम्नांकित दिशा–निर्देश (कार्यान्वयन अनुदेश) निर्गत किये जाते हैं :–

1– उद्देश्य :– इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में निजी क्षेत्र में अंडा उत्पादन करने हेतु 10000/5000 क्षमता वाले लेयर मुर्गी फार्म की संख्या में वृद्धि के साथ–साथ अंडा उत्पादन में वृद्धि करना तथा राज्य को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना एवं राज्य में अंडा उत्पादन से पशुजन्य प्रोटीन (अंडा) की उपलब्धता तथा लाभकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

2– योजना के मुख्य बिन्दु :–

(i) राज्य में मुर्गी अंडा एवं मांस उत्पादन में वृद्धि हेतु "लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना" के अन्तर्गत लेयर मुर्गी फार्म (10000 लेयर मुर्गी की क्षमता, फीड मिल सहित एवं **5000** लेयर मुर्गी क्षमता) की स्थापना लागत पर 30 प्रतिशत अनुदान (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों हेतु **40** प्रतिशत) तथा चार वर्षों तक बैंक ऋण के ब्याज (Interest Component) पर **50** प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जायेगी।

(ii) योजना अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को लेयर मुर्गी फार्म का संचालन न्यूनतम सात वर्षों तक करना अनिवार्य होगा।

(iii) योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में पशुपालन निदेशालय द्वारा किया जायेगा तथा ऑन लाईन (On line) आवेदन प्राप्त किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

(iv) योजना अन्तर्गत 10000 लेयर मुर्गी क्षमता फीड मिल सहित/ 5000 लेयर मुर्गी फार्म क्षमता हेतु लक्ष्य अनुमानित इकाई लागत, आवेदन के वक्त आवेदक के पास वांछित राशि (स्वलागत अथवा बैंक ऋण), अनुदान एवं वांछित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	कोटि	क्षमता	लक्ष्य (इकाई में)	इकाई लागत (लाख रूपये में)	आवेदन के समय आवेदक के पास वांछित राशि (लाख रूपये में)		अनुदान		भूमि की आवश्यकता
					स्वलागत	बैंक ऋण	इकाई लागत का %	अधिकतम अनुदान (लाख रूपयें में)	
1	सामान्य जाति	10000	18	100.00	70.00	10.00	30	30.00	100 डी0
		5000	2	48.50	33.95	4.85	30	14.55	50डी0
2	अनुसूचित जाति	10000	8	100.00	60.00	10.00	40	40.00	100 डी0
		5000	10	48.50	29.10	4.85	40	19.40	50 डी0
3	अनुसूचित जनजाति	10000	01	100.00	60.00	10.00	40	40.00	100 डी0
		5000	01	48.50	29.10	4.85	40	19.40	50 डी0
कुल			40						

फीड मिल का संस्थापन (10,000 क्षमता) बाध्यकारी नहीं होगा। फीड मिल का संस्थापन नहीं करने पर अनुपातिक कटौती कर अनुदान का भुगतान किया जायेगा ।

(v) इसके अतिरिक्त कुल चार वर्षो तक बैंक ऋण के ब्याज (Interest Component) पर 50 प्रतिशत अनुदान की अधिकतम राशि निम्नांकित विवरणी के अनुरूप दी जायेगी। स्वलागत से लेयर फार्म स्थापित करने पर बैंक ऋण के ब्याज पर अनुदान देय नहीं होगा।

क्र0 सं0	कोटि	लेयर मुर्गी फार्म की क्षमता	प्रति ईकाई स्थापना हेतु बैंक ऋण के ब्याज (Interest Component) पर 50 प्रतिशत अनुदान राशि (अधिकतम राशि, लाख रूपये में)				
			प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	कुल अनुदान राशि (अधिकतम)
1	सामान्य	10,000	3.60	2.70	1.80	0.90	9.0
		5,000	1.746	1.310	0.873	0.437	4.365
2	अ0जा/अ0 ज0जा0	10,000	3.00	2.250	1.50	0.750	7.50
		5,000	1.455	1.080	0.720	0.360	3.615

Scanned with OKEN Scanner

3– लाभार्थियों का चयन (आवेदन पत्र/ पात्रता इत्यादि) :–

(i) इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन कर इच्छुक व्यक्तियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जायेगा।

(ii) आवेदन ऑनलाईन समर्पित करने की अंतिम तिथि समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात् विभागीय वेबसाईट (https://state.bihar.gov.in/ahd) पर ऑनलाईन लिंक खुलने की तिथि से 30 (तीस) दिन होगी। आवश्यकतानुसार विज्ञापन का अवधि विस्तार अथवा पुनर्विज्ञापन किया जा सकेगा।

(iii) योजना अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों को ऑनलाईन आवेदन करना होगा। इसके लिये विभागीय वेबसाईट (https://state.bihar.gov.in/ahd) पर दिये गये लिन्क (link) पर जाकर आधार संख्या/वोटर कार्ड संख्या से पंजीकरण (Registration) करना होगा। ऑनलाईन आवेदन के समय सभी वांछित कागजातों/अनुलग्नकों को ऑनलाईन (Online) अपलोड (upload) करना होगा।

(iv) आवेदन पत्र भरने से पहले सभी वांछित अनुलग्नकों को Scan कराकर Pdf format में Soft copy तैयार कर लिया जायेगा जिसे ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा।

(v) ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने के बाद आवेदक को एक प्राप्ति रसीद प्राप्त होगा जिसमें उनके द्वारा जमा किये गये सभी कागजातों की प्राप्ति एवं आवेदन आई.डी. संख्या अंकित होगा। प्राप्ति रसीद में अंकित आई.डी./आधार संख्या एवं पासवर्ड से लॉग–इन (Login) कर आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

(vi) **एक आवेदक द्वारा एक ही आवेदन पत्र समर्पित किया जायेगा।**

(vii) लाभार्थी को लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना के लिए वाछित भूमि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। प्रस्तावित भूमि आवासीय क्षेत्र से 500 मीटर, वृहत जल श्रोत से 100 मीटर राष्ट्रीय उच्च पथ (एन0एच0) से 100 मीटर, राजकीय उच्च पथ (एस0एच0) से 50 मीटर, ग्रामीण सड़क से 10 मीटर, राष्ट्रीय उद्यान/ वन्य जीव अभ्यारण्य / व्याघ्र संरक्षण से 01 किलोमीटर दूरी होनी चाहिए। सुविधाजनक परिवहन हेतु उक्त उल्लेखित दूरी के अनुसार स्वयं का 20 फीट के रास्ता से जुड़ा रहना आवश्यक होगा।

(viii) लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि स्वयं की, पैतृक अथवा लीज की हो सकती है। पैतृक भूमि के मामले में पिता (यदि जीवित हों) सहित सभी कानूनी दावेदारों के द्वारा सम्मिलित रूप से अनापत्ति शपथ–पत्र समर्पित करना होगा।

(ix) प्रस्तावित भूमि (निजी/लीज की) का अद्यतन भूमि–स्वामित्व प्रमाण–पत्र/अद्यतन लगान रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(x) लीज पर भूमि लेने की स्थिति में लीज एकरारनामा (रूपये 1000 के Non-judicial stamp paper पर) संलग्न करना अनिवार्य होगा। भूमि यदि लीज पर ली गई हो तो.आवेदन स्वीकृति के समय कम से कम नौ

Scanned with OKEN Scanner

वर्षो के लिए भूमि लीज की अवधि शेष हो। उक्त लीज एकरारनामा/लीज में यह अंकित रहना अनिवार्य होगा कि भूमि पर लेयर मुर्गी फार्म का निर्माण किया जायेगा। अगर किसी आवेदक के द्वारा लीज एकरारनामा दिया गया हो तो वह इस शर्त्त के साथ मान्य होगा कि चयनित आवेदक को अनुदान के प्रथम किस्त के भुगतान के पहले लीज एकरारनामा को निबंधित कराना अनिवार्य होगा।

(xi) सीलींग जमीन पर इस योजना का लाभ देय नहीं होगा।

(xii) आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित लेयर फार्म की भूमि का एक नजरी नक्शा जमा करना होगा। आवेदन पत्र के साथ नजरी नक्शा जमा नहीं किये जाने की स्थिति में नजरी नक्शा जिला स्तर पर गठित त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति को स्थल निरीक्षण के समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(xiii) लाभार्थी द्वारा आवेदन के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (Detailed Project Report) सलंग्न करना होगा। आवेदन पत्र के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (Detailed Project Report) सलंग्न नहीं करने की स्थिति में संगत विभागीय स्वीकृति आदेश में संलग्न मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (अनुलग्नक–2/3) ही मान्य होगा।

(xiv) लाभार्थियों के चयन में मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थानों से कुक्कुट पालन में प्रशिक्षण प्राप्त आवेदकों एवं अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इस हेतु आवेदक को न्यूनतम पाँच दिनों का कुक्कुट पालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अथवा स्वयं का लेयर फार्म संचालन से संबंधित साक्ष्य (साक्ष्य के रूप में स्वयं के लेयर फार्म का फोटोग्राफ एवं विगत 3 वर्षो में चूजा, दाना क्रय का पक्का रसीद) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(xv) लेयर फार्म स्थापित करने हेतु उपर अंकित कंडिका–2 (iv) के अनुरूप लाभार्थी के स्तर से व्यय की जाने वाली राशि की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य (अद्यतन बैंक पास बुक/बैंक के शाखा प्रबंधक के द्वारा सत्यापित खाता विवरणी (Account Statement)/बैंक सावधि जमा अथवा बीमा का प्रत्यर्पण मूल्य (Surrender Value, इत्यादि) की ऑन–लाईन (On-line) अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(xvi) बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया लाभार्थी के द्वारा स्वयं की जायेगी। बैंक द्वारा लाभार्थी के ऋण आवेदन स्वीकृत न हो पाने अथवा अस्वीकृत कर दिये जाने की स्थिति में संबंधित लाभार्थी का यह दायित्व होगा कि वह अविलम्ब निदेशक, पशुपालन को इसकी सूचना दे एवं इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि वह स्वलागत से इसे पूरा करना चाहते हैं अथवा नहीं। स्वलागत से लेयर फार्म का निर्माण कराये जाने की स्थिति में उन्हें उपर अंकित कंडिका–2 (iv) के अनुरूप स्वलागत के लिए वांछित राशि की उपलब्धता का साक्ष्य समर्पित करना होगा।

(xvii) स्वलागत से लेयर फार्म स्थापित करने वाले लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी बशर्त्ते कि उनके द्वारा व्यय की जाने वाली राशि की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाये। स्वलागत से लेयर फार्म स्थापित करने पर बैंक ऋण के ब्याज पर अनुदान देय नहीं होगा।

Scanned with OKEN Scanner

(xviii) पूर्व में लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना हेतु विभागीय स्तर से अनुदान प्राप्त/चयनित लाभार्थियों एवं उनके परिवार के सदस्यों (माता/पिता/पत्नी/पति/पुत्र/अविवाहित पुत्री/पुत्रवधु) को इस योजना के अन्तर्गत लाभ देय नहीं होगा।

4– लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया :–

(i) लाभार्थियों का प्रारंभिक चयन (Screening) पशुपालन निदेशालय के स्तर पर किया जायेगा। आवेदक द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र एवं सभी संलग्न कागजातों की जाँच हेतु संयुक्त निदेशक (मु0), पशुपालन निदेशालय की अध्यक्षता में गठित की जाने वाली त्रि –सदस्यीय स्क्रीनिंग समिति के द्वारा की जायेगी जो निम्नवत् होगी :–

(क) संयुक्त निदेशक (मु0), पशुपालन निदेशालय	–	अध्यक्ष
(ख) निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना	–	सदस्य
(ग) नोडल पदाधिकारी, कुक्कुट/Admin, Online Application System	–	सदस्य

(ii) उक्त त्रि –सदस्यीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा सभी प्राप्त आवेदन पत्रों (संलग्न कागजातों सहित) की जाँच की जायेगी। स्क्रूटनी के क्रम में ऑनलाईन आवेदन में व्याप्त साधारण त्रुटियों यथा– अपलोड किये गये साक्ष्यों का अद्यतन नही होना या अस्पष्ट होना इत्यादि को सुधार करने हेतु आवेदकों को त्रुटि निराकरण का एक मौका दिया जा सकता है। उक्त क्रम में निर्धारित तिथि के अंदर वांछित एवं सुस्पष्ट साक्ष्यों को जिला पशुपालन पदाधिकारी के माध्यम से / ऑनलाईन माध्यम से अपलोड करते हुए उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। त्रुटि निराकरण हेतु निर्धारित अवधि के उपरान्त पुनः सभी आवेदनों एवं साक्ष्यों की जॉच की जायेगी एवं प्रारंभिक रूप से योग्य आवेदकों की कोटिवार सूची तैयार की जायेगी। राशि संबंधी साक्ष्य अगर आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की प्रस्तुत की जाती है तो इससे संबंधित आवेदक की वरीयता प्रभावित होगी।

(iii) सभी त्रुटियों के निराकरण करने के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये सभी प्रारंभिक रूप से योग्य आवेदको की कोटि–वार सूची तैयार की जायेगी।

(iv) इसके उपरान्त प्रारंभिक रूप से योग्य पाये गये उपर्युक्त सूची के आवेदको के आवेदन पत्र को संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर पर गठित की जाने वाली त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति के स्तर से स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँच इत्यादि हेतु भेजा जायेगा।

(v) जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर पर गठित की जाने वाली त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति में संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी अध्यक्ष के रूप में तथा सहायक कुक्कुट पदाधिकारी एवं जिला में पदस्थापित अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/पशु शल्य चिकित्सक (जो भी वरीय हों) सदस्य

Scanned with OKEN Scanner

के रूप रहेंगे। यदि सहायक कुक्कुट पदाधिकारी/अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/पशु शल्य चिकित्सक में कोई पद रिक्त हो अथवा स्वीकृत नहीं हो, वहाँ संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा जिला अन्तर्गत पदस्थापित किन्हीं अन्य वरीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जायेगा।

(vi) त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति द्वारा स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँचोपरान्त आवेदक द्वारा दी गई विवरणी सही पाये जाने पर संलग्न प्रपत्र–1 में अपनी अनुशंसा के साथ पशुपालन निदेशालय को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।

(vii) त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के आधार पर सभी योग्य आवेदको की निदेशालय स्तर पर गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा वरीयता सूची (कोटि–वार) तैयार की जायेगी तथा लक्ष्य के अनुरूप लाभार्थियों का अंतिम रूप से चयन (कोटि–वार) करने हेतु अनुशंसा की जायेगी।

(viii) त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के आधार पर सभी योग्य आवेदको की कोटिवार वरीयता सूची निम्नांकित आधार पर तैयार की जायेगी :–

(1) स्वलागत + प्रशिक्षण/अनुभव	– प्रथम प्राथमिकता
(2) स्वलागत	– द्वितीय प्राथमिकता
(3) बैंक ऋण + प्रशिक्षण/अनुभव	– तृतीय प्राथमिकता

वरीयता क्रम आवेदन जमा किये जाने के क्रम में होगा अर्थात् **"पहले आओ पहले पाओ"** के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। वरीयता सूची में सबसे उपर प्रथम प्राथमिकता के दायरे में आनेवाले आवेदक आवेदन जमा किये जाने के क्रम में होंगे। तत्पश्चात् क्रमशः द्वितीय प्राथमिकता एवं तृतीय प्राथमिकता के दायरे में आनेवाले आवेदक आवेदन जमा किये जाने के क्रम में होंगे। शेष आवेदकों की वरीयता उपर्युक्त वर्णित तीनों प्राथमिकताओं के पश्चात् आवेदन जमा किये जाने के क्रम में होगी।

(ix) लाभार्थियों का अंतिम रूप से चयन निदेशक, पशुपालन की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। लाभार्थियों के चयन हेतु चयन समिति का गठन निम्नवत् किया जायेगा :–

(क) निदेशक, पशुपालन, बिहार	– अध्यक्ष।
(ख) संयुक्त निदेशक (मु0/प0स्वा0), पशुपालन निदेशालय	– सदस्य।
(ग) निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान	– सदस्य।

(x) चयन समिति द्वारा लाभार्थियों के अंतिम चयन के उपरांत निदेशक, पशुपालन के स्तर से लाभार्थियों का चयन संबंधी स्वीकृति पत्र निदेशालय स्तर से निर्गत किया जायेगा एवं इसकी प्रति संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/जिला पशुपालन पदाधिकारी को दी जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

(xi) स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के **10 दिनों** के अन्दर चयनित लाभार्थियों को विभागीय प्रतिनिधि (संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी) के साथ रूपये 1000/– के नॉन–ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर (Non-Judicial Stamp Paper) पर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।

5– लेयर मुर्गी फार्म का निर्माण एवं अनुदान की राशि का भुगतान :–

(i) लाभार्थी के द्वारा एकरारनामा संपादित किये जाने के उपरान्त परियोजना प्रस्ताव के अनुरूप 30 दिनों के अन्दर लेयर मुर्गी फार्म का निर्माण कराना प्रारम्भ किया जायेगा। लाभार्थी द्वारा फार्म निर्माण के प्रत्येक स्टेज (प्रारंभ, लिंटर ,छत निर्माण) की सूचना ससमय सम्बंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को दी जायेगी। सूचना प्राप्ति के उपरांत सम्बंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी / प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण किया जायेगा एवं प्रगति प्रतिवेदन पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा। किये गए स्थल निरीक्षण का साक्ष्य / फोटोग्राफ जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं लाभार्थी द्वारा संधारित किया जायेगा।

(ii) एकरारनामा संपादित करने की तिथि से 30 दिनों के अंदर लेयर मुर्गी फार्म का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने की स्थिति में संबंधित लाभार्थी का स्वीकृति पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा इसके लिए लाभार्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(iii) एकरारनामा संपादित होने की तिथि से 6 (छः) माह के अन्दर लाभार्थी के द्वारा लेयर मुर्गी फार्म का निर्माण कार्य (Civil work) पूरा करने तथा फार्म में चूजा रखने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा तथा फीड मिल एवं फीड गोदाम के निर्माण का साक्ष्य एकरारनामा संपादित होने की तिथि से 9 (नौ) माह के अन्दर देना होगा। लेयर मुर्गी फार्म निर्माण संलग्न प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित क्षेत्रफल में किया जायेगा। शेड निर्माण में पक्का फर्श, कंक्रीट/लोहे का पीलर एवं छत में लोहे का ट्रस तथा सीमेंट एस्बेस्टस का उपयोग वांछित होगा।

(iv) लाभार्थियों को अनुमान्य अनुदान का भुगतान निदेशक, पशुपालन के द्वारा किया जायेगा। 10000 लेयर मुर्गी क्षमता फीड मिल सहित/ 5000 लेयर मुर्गी क्षमता के लेयर मुर्गी फार्म के लाभार्थियों को अनुदान का भुगतान दो किस्तों में किया जायेगा। अनुदान की कुल राशि का 60 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में लेयर मुर्गी फार्म (ब्रुडर शेड /लेयर शेड) का निर्माण कार्य (Civil Work) पूरा होने एवं लेयर चिक्स (10000/5000) का लॉट रखने के साक्ष्य, लेयर मुर्गी के साथ लाभार्थी का फोटोग्राफ एवं फार्म का विभागीय पदाधिकारी के साथ फोटोग्राफ (फार्म निर्माण के विभिन्न स्टेज यथा प्रारंभ, लिंटर, छत निर्माण तथा पूर्ण निर्मित फार्म) प्रस्तुत करने के उपरान्त किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

(v) अगर लाभार्थी द्वारा बिना ब्रूडर शेड बनाये पूर्ण तैयार लेयर शेड में चिक्स रख कर प्रथम क़िस्त भुगतान हेतु आवेदन दिया जाता है तो वैसी परिस्थिति में प्रथम किस्त का अनुमान्य अनुदान राशी में से ब्रूडर शेड का अनुपातिक अनुदान राशी काट कर शेष राशी भुगतान संबंधी निर्णय लिया जा सकेगा परन्तु द्वितीय क़िस्त अनुदान आवेदन से पूर्व ब्रूडर शेड का निर्माण एवं तत्संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(vi) लाभार्थियों को अनुमान्य अनुदान की शेष राशि 40 प्रतिशत द्वितीय किस्त के रूप में भुगतान 1 टन प्रति घंटा उत्पादन क्षमता का फीड मिल उपकरण (10000 लेयर मुर्गी क्षमता हेतु) फीड गोदाम/स्टाफ रूम, जेनरेटर (साइलेन्ट डी0जी0 सेट,) इत्यादि के संस्थापन के साथ लाभार्थी का फोटोग्राफ साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के उपरान्त किया जायेगा।10000 लेयर मुर्गी क्षमता हेतु फीड मिल संस्थापित नहीं करने की स्थिति में फीड मिल हेतु अनुमानित प्राक्कलित राशि रू0 5.00 लाख में से अनुदान की अनुपातिक कटोती कर अनुदान भुगतान का निर्णय लिया जा सकेगा।

(vii) लाभार्थियों को अनुमान्य अनुदान की राशि का भुगतान निम्नवत् किया जायेगा :—

क्र0 सं0	कोटि	लेयर मुर्गी फार्म की क्षमता	परियोजना लागत (लाख रूपये में)	अनुमान्य अनुदान राशि (लाख रूपये में)		
				प्रथम किस्त – 60 प्रतिशत	द्वितीय किस्त – 40 प्रतिशत	कुल
1	सामान्य	10,000	100.00	18.00	12.00/10.50*	30.00/28.50*
		5,000	48.50	8.73	5.82	14.55
2	अनु0 जाति/ अनु0 जनजाति	10,000	100.00	24.00	16.00/14.00*	40.00/38.00*
		5,000	48.50	11.64	7.76	19.40

*(फीड मिल संस्थापित नहीं करने की स्थिति में)

(viii) लाभार्थी द्वारा अनुदान की राशि (प्रथम किस्त/द्वितीय किस्त) प्राप्त करने हेतु आवेदन विहित प्रपत्र (प्रपत्र–2) में प्रमाणिक साक्ष्य फोटोग्राफ के साथ संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को जमा करना होगा, जिसकी पावती आवेदक को दी जायेगी।

(ix) जिला पशुपालन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति द्वारा आवेदन प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर स्थल निरीक्षण किया जायेगा। स्थल निरीक्षण के समय लाभार्थियों का स्थल (लेयर मुर्गी फार्म) पर उपस्थित रहना आवश्यक होगा। स्थल निरीक्षण के क्रम में त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति द्वारा पूरे लेयर मुर्गी फार्म की विधिवत् रूप से फोटोग्राफी करायी जायेगी।

(x) त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति द्वारा लेयर मुर्गी फार्म का स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँचोंपरान्त संतुष्ट होने के पश्चात् लाभार्थी को अनुदान राशि का भुगतान करने हेतु अपनी अनुशंसा के साथ एवं स्थल निरीक्षण–सह–जाँच प्रतिवेदन –प्रपत्र 3 (लेयर मुर्गी फार्म के अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

Scanned with OKEN Scanner

सहित) एवं चेकलिस्ट 1 अथवा 2 (जो लागू हो) संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्ति के दस दिनों के अन्दर पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध करायां जायेगा।

(xi) निरीक्षण–सह–जाँच प्रतिवेदन (प्रपत्र–3) पशुपालन निदेशालय में प्राप्त होने के उपरान्त अनुदान का भुगतान (प्रथम किस्त/द्वितीय किस्त) संबंधी निर्णय निदेशालय स्तर पर गठित त्रि–सदस्यीय समिति द्वारा बैठक कर लिया जायेगा जिसमे संयुक्त निदेशक (पशु स्वास्थ्य/मुख्यालय) अध्यक्ष एवं प्रभारी पदाधिकारी (कुक्कुट) एवं सम्बंधित प्रशाखा पदाधिकारी सदस्य होंगे। अनुमान्य अनुदान का भुगतान लाभार्थी के नाम से Pay ID/NEFT/RTGS द्वारा किया जायेगा जिसकी विधिवत् रूप से प्राप्ति का साक्ष्य पशुपालन निदेशालय में संधारित किया जायेगा।

(xii) संगत राज्यादेश की कंडिका–6 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस योजना के लिये स्वीकृत राशि निदेशक, पशुपालन, बिहार द्वारा एकमुश्त अग्रिम निकासी कर बिहार लाईवस्टॉक डेवलपमेन्ट एजेन्सी (बी0एल0डी0ए0), पटना के पी0एल0 खाता (संख्या–PBBPLA028) में रखी जायेगी। लाभार्थियों को अनुदान की राशि (प्रथम किस्त/द्वितीय किस्त) का भुगतान उक्त खाता के माध्यम से किया जायेगा।

6– योजना का अनुश्रवण/अन्यान्यः–

(i) जिला स्तर पर योजना का अनुश्रवण संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर से किया जायेगा। जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह लेयर मुर्गी फार्म में चूजा/मुर्गियों की स्वास्थ्य जाँच की जायेगी। जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा इस कार्य में आवश्यकतानुसार जिले में पदस्थापित अन्य पशु चिकित्सकों का सहयोग लिया जा सकेगा।

(ii) लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना में Bio-Security measures का अनुपालन करना लाभार्थियों का दायित्व होगा। साथ ही उनके द्वारा नए पोल्ट्री फार्म की स्थापना संबंधी बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा जारी दिशा निर्देश का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा Bio-Security measures के अनुपालन की समीक्षा नियमित रूप से की जायेगी।

(iii) योजना अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को प्रत्येक माह की पहली तारीख को संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को लेयर मुर्गी फार्म का मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित करना अनिवार्य होगा।

(iv) संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा जिले में स्थापित सभी लेयर मुर्गी फार्म का नियमित निरीक्षण कर भौतिक प्रतिवेदन (अद्यतन अण्डा उत्पादन सहित) प्रत्येक माह की सातवीं तारीख तक पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(v) योजना की प्रगति की मासिक समीक्षा विभागीय स्तर पर की जायेगी।

(vi) संगत विभागीय स्वीकृति आदेश से मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (अनुलग्नक–2/3) संलग्न है।

(vii) किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवादों का निपटारा करने के लिये अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

23/5

निदेशक, पशुपालन।

Scanned with OKEN Scanner

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

बिहार सरकार

हमारा बिहार

ज्ञापांक– 10 नि0 (कुक्कुट) 06/2025.....1958 ....../पटना–15, दिनांक– ....23/05...../2025

प्रतिलिपि :– विभागीय आई0 टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/परियोजना निदेशक, बी0एल0डी0ए0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सहायक निदेशक, सूचना एवं प्रसार बिहार पटना पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन कराया जाये।

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

23/5

निदेशक, पशुपालन।

Scanned with OKEN Scanner

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

बिहार सरकार

प्रपत्र–1

कार्यालय :– जिला पशुपालन पदाधिकारी, ...

वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम अन्तर्गत "समेकित मुर्गी विकास योजना" के तहत ''लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना'' के अन्तर्गत लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति द्वारा स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँचोपरान्त पशुपालन निदेशालय को समर्पित किये जाना वाला जाँच पत्र

आई.डी. संख्या– [ ]

आवेदक श्री/श्रीमती/सुश्री/..पिता/पति का नाम :– ....

ग्राम : .... पोस्ट : ....थाना : ... . प्रखंड : .... जिला : .... पिन कोड : ....द्वारा *"समेकित मुर्गी विकास योजना"* के तहत ''लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना'' के अन्तर्गत लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु समर्पित किये गये आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचनाओं/तथ्यों की जाँच की गई एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तावित लेयर मुर्गी फार्म यूनिट (10,000 क्षमता फीड मिल सहित/5,000 क्षमता) की स्थल पर जाकर स्थलीय जाँच की गई। *(जो लागू न हो उसे काट दें)*

1– आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचना/तथ्य जाँचोपरान्त सही पाया गया/सही नहीं पाया गया। *(जो लागू न हो उसे काट दें)*

2– आवेदक द्वारा प्रस्तावित लेयर मुर्गी फार्म स्थल (मौजा–............ थाना नं0–........................ खाता नं0–...... ......खेसरा नं0–............ एवं रकवा–........................) पर लेयर मुर्गी फार्म का निर्माण किया जा सकता है/नहीं किया जा सकता है। *(जो लागू न हो उसे काट दें)*

3–प्रस्तावित लेयर मुर्गी फार्म स्थल पर पहुँच पथ उपलब्ध है/उपलब्ध नहीं है।

(जो लागू न हो उसे काट दें)

4– कोई अन्य सूचना (यदि हो तो) – ....
....

Scanned with OKEN Scanner

5–आवेदक को ''लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना'' के अन्तर्गत लेयर मुर्गी फार्म (10000 फीड मील सहित/5000 क्षमता) की स्थापना हेतु चयनित करने की अनुशंसा की जाती है/निम्नांकित कारणों से अनुशंसा नहीं की जाती है *(जो लागू न हो उसे काट दें)*:–

(i) ....

(ii) ....

सहायक कुक्कुट पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर। (सदस्य)	जिला में पदस्थापित अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/पशु शल्य चिकित्सक (जो भी वरीय हों) (सदस्य)	जिला पशुपालन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर। (अध्यक्ष)

Scanned with OKEN Scanner

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

बिहार सरकार

प्रपत्र–2

वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम अन्तर्गत "समेकित मुर्गी विकास योजना" के तहत "लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना" के अंतर्गत लेयर मुर्गी फार्म (10,000 लेयर मुर्गी क्षमता फीड मिल सहित / 5000 लेयर मुर्गी क्षमता) का अनुदान राशि (प्रथम किस्त/द्वितीय किस्त) की प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र

प्रेषक,

श्री/श्रीमती ....

आई.डी. संख्या– [ ]

पिता/पति का नाम :– ....ग्राम : ....पोस्ट : ....थाना : .... प्रखंडः ....जिला : ....पिन कोड : .... मोबाईल नं0–...................................

सेवा में,

जिला पशुपालन पदाधिकारी,

....

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में आत्म निर्भर बिहार के सात निश्चय –2 के तहत "लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना" के अंतर्गत लेयर मुर्गी फार्म (10,000 क्षमता फीडमिल सहित / 5000 क्षमता) के अन्तर्गत अनुदान (प्रथम किस्त/द्वितीय किस्त) की राशि प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र।

1– लेयर मुर्गी फार्म संरचना (ब्रुडर शेड /लेयर शेड) का निर्माण कार्य (Civil work) पूरा कर लिया गया है एवं चिक्स लॉट का क्रय कर फार्म इकाई में रख ली गयी है। प्रमाण स्वरूप लेयर मुर्गी फार्म संरचना का विभागीय पदाधिकारियों के साथ फोटोग्राफ (फार्म निर्माण के सभी स्टेज के फोटोग्राफ सहित) तथा लेयर चिक्स क्रय का अभिश्रव (कैशमेमो) संलग्न किया जा रहा है तथा अनुदान की राशि का प्रथम किस्त 60 प्रतिशत रूपये .... *(राशि अंक एवं शब्दों में)* का भुगतान प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है

2– फीड गोदाम /स्टोर रूम की संरचना का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं जेनरेटर सेट का क्रय कर संस्थापित कर लिया गया है । फीड मिल मशीन, (10000 लेयर मुर्गी क्षमता की स्थिति में) संस्थापित कर लिया गया है /संस्थापित करने में इक्षुक नहीं हूँ । संस्थापित मशीनों का का विभागीय पदाधिकारियों के साथ फोटोग्राफ तथा संबंधित अभिश्रव (कैशमेमो) संलग्न कर अनुमान्य अनुदान की राशि का द्वितीय किस्त अधिकतम रूपये ....*(राशि अंक एवं शब्दों में)* का भुगतान प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है।

3– मुझे अनुदान दावा का प्रथम किस्त 60 प्रतिशत रूपये ..../ द्वितीय किस्त 40 प्रतिशत रूपये ..../ अनुदान रूपये .... *(राशि अंक एवं शब्दों में)* का भुगतान किया जाये।

(जो लागू न हो उसे काट दें)

तिथि ....   **आवेदक का हस्ताक्षर**

(अनुदान दावा आवेदन पत्र में लाभार्थी अपना नाम एवं हस्ताक्षर तथा तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे)

दूरभाष संख्या: 0612-221596   **ई-मेल: dirahd-bih@nic.in**   **वेबसाइट:state.bihar.gov.in/ahd**

Scanned with OKEN Scanner

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय,. पटना-15

हमारा बिहार

बिहार सरकार

प्रपत्र–3

कार्यालय :– जिला पशुपालन पदाधिकारी, ...

वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम अन्तर्गत "समेकित मुर्गी विकास योजना" के तहत "लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना" के अंतर्गत लेयर मुर्गी फार्म (10,000 लेयर मुर्गी क्षमता फीड मिल सहित / 5000 लेयर मुर्गी क्षमता) का अनुदान राशि (प्रथम किस्त/द्वितीय किस्त/एकमुश्त) की प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र का जाँच पत्र

पशुपालन निदेशालय, बिहार के स्वीकृति पत्र संख्या ....दिनांक ....के आलोक में आवेदक श्री/श्रीमति/सुश्री ....

आई.डी. संख्या– [ ]

पिता/पति का नाम :– ....ग्राम : .... पोस्ट : ....थाना : .... प्रखंडः ....जिला : ....पिन कोड : .... द्वारा अनुदान का प्रथम किस्त/द्वितीय किस्त/ एकमुश्त के लिए समर्पित आवेदन/दावा के आलोक में लाभार्थी के द्वारा स्थापित लेयर मुर्गी फार्म यूनिट स्थल पर जाकर जाँच की गई।

जाँचोपरान्त पाया गया कि :–

1– लाभार्थी द्वारा लेयर मुर्गी फार्म संरचना (ब्रुडर शेड /लेयर शेड) का निर्माण कार्य (Civil work) पूरा कर लिया गया है एवं चिक्स लॉट का क्रय कर फार्म इकाई में रख ली गयी है। (चिक्स क्रय का साक्ष्य एवं फार्म निर्माण के विभिन्न स्टेज सहित पूर्ण फार्म के अन्दर एवं बाहर का फोटोग्राफ संलग्न)

2– फीड गोदाम / स्टोर रूम की संरचना का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एव जेनरेटर का संस्थापन कर लिया गया है। । फीड मिल मशीन (10000 लेयर मुर्गी क्षमता की स्थिति में) संस्थापन कर लिया गया है/संस्थापित करने में इक्षुक नहीं है*(जो लागू न हो उसे काट दें)*। (अभिश्रवों की अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं फोटोग्राफ संलग्न)

3– लाभार्थी को अनुदान राशि के प्रथम किस्त/द्वितीय किस्त के भुगतान के लिए चेक लिस्ट–1/चेक लिस्ट–2 सभी अनुलग्नकों सहित संलग्न की जा रही है।

लाभार्थी श्री .... को अनुदान की राशि का प्रथम किस्त रूपये ..../ द्वितीय किस्त रूपये ..../ अनुदान रूपये ....*(राशि अंक एवं शब्दों में)* का भुगतान करने की अनुशंसा की जाती है। *(जो लागू न हो उसे काट दें)*

सहायक कुक्कुट पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर।	जिला में पदस्थापित अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/पशु शल्य चिकित्सक (जो भी वरीय हों)	जिला पशुपालन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर।
(सदस्य)	(सदस्य)	(अध्यक्ष)

दूरभाष संख्या: 0612-221596 ई-मेल: dirahd-bih@nic.in वेबसाइट:state.bihar.gov.in/ahd

Scanned with OKEN Scanner

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना–15

बिहार सरकार

चेकलिस्ट–1

वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम अन्तर्गत "समेकित मुर्गी विकास योजना" के तहत "लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना" में अनुदान राशि के प्रथम किस्त के भुगतान हेतु चेकलिस्ट –1

क्र0	विषय		विवरणी	
1	लाभार्थी का नाम			
2	आई0डी0 संख्या			
3	लाभार्थी की कोटी			
4	लेयर फार्म की क्षमता			
5	स्वीकृति पत्र सं0...दिनांक–..			
6	बैंक खाता विवरणी :–			
I	बैंक का नाम एवं शाखा			
II	खाता सं0		कैन्सील्ड चेक संलग्न करें।	
III	IFSC कोड			
7	ब्रुडर शेड का निर्माण		पूर्ण/अपूर्ण	
I	लम्बाई (फीट)		ब्रुडर शेड निर्माण के विभिन्न स्टेज यथा प्रारंभ, लिंटर, छत निर्माण तथा पूर्ण निर्मित शेड के अन्दर एवं बाहर का विभागीय पदाधिकारी एवं लाभार्थी सहित फोटोग्राफ संलग्न करें ।	
II	चौड़ाई (फीट)			
III	क्षेत्रफल (वर्ग फीट)			
8	लेयर शेड का निर्माण		पूर्ण/अपूर्ण	
I	लम्बाई (फीट)		लेयर शेड निर्माण के विभिन्न स्टेज यथा प्रारंभ, लिंटर, छत निर्माण तथा पूर्ण निर्मित शेड के अन्दर एवं बाहर का विभागीय पदाधिकारी एवं लाभार्थी सहित फोटोग्राफ संलग्न करें ।	
II	चौड़ाई (फीट)			
III	क्षेत्रफल (वर्ग फीट)			
9	चुजा का क्रय			
I	फर्म का नाम			
II	रसीद सं0/तिथि			
III	क्रय किये गये चूजों की संख्या एवं व्ययगत राशि (चूजा क्रय के रसीद का अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)			
10	लीज की भूमि का निबंधन (निबंधित लीज का अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)		हाँ/नहीं	
11	अनुमान्य अनुदान की राशि			
12	अभ्युक्ति			

प्रमाणित किया जाता है कि लाभार्थी द्वारा लेयर मुर्गी फार्म का निर्माण संगत कार्यान्वयन अनुदेश एवं स्वीकृति पत्र के अनुरूप किया गया है एवं लाभार्थी को अनुमान्य अनुदान की राशि का भुगतान किया जा सकता है।

जिला पशुपालन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एव मुहर

दूरभाष संख्या: 0612-221596 ई-मेल: dirahd-bih@nic.in वेबसाइट:state.bihar.gov.in/ahd

Scanned with OKEN Scanner

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

हमारा बिहार

बिहार सरकार

चेकलिस्ट–2

वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम अन्तर्गत "समेकित मुर्गी विकास योजना" के तहत "लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना" में अनुदान राशि के द्वितीय किस्त के भुगतान हेतु चेक लिस्ट –2

क्र0	विषय		विवरणी	
1	लाभार्थी का नाम			
2	आई0डी0 संख्या			
3	लाभार्थी की कोटी			
4	लेयर फार्म की क्षमता			
5	स्वीकृति पत्र सं0...दिनांक..			
6	बैंक खाता विवरणी			
i	बैक का नाम एवं शाखा			
ii	खाता सं0			
iii	IFSC कोड			
7	ब्रुडर शेड का निर्माण		पूर्ण/अपूर्ण	
i	लंबाई (फीट)		ब्रुडर शेड निर्माण के विभिन्न स्टेज यथा प्रारंभ, लिंटर, छत निर्माण तथा पूर्ण निर्मित शेड के अन्दर एवं बाहर का विभागीय पदाधिकारी एवं लाभार्थी सहित फोटोग्राफ संलग्न करें ।	
ii	चौड़ाई (फीट)			
iii	क्षेत्रफल (वर्ग फीट			
8	लेयर शेड का निर्माण		पूर्ण/अपूर्ण	
i	लम्बाई (फीट)			
ii	चौड़ाई (फीट)			
iii	क्षेत्रफल (वर्ग फीट)		लेयर शेड निर्माण के विभिन्न स्टेज यथा प्रारंभ, लिंटर, छत निर्माण तथा पूर्ण निर्मित शेड के अन्दर एवं बाहर का विभागीय पदाधिकारी एवं लाभार्थी सहित फोटोग्राफ संलग्न करें ।	
9	चुजा का क्रय			
i	फर्म का नाम			
ii	रसीद सं0/तिथि			
iii	चूजों की संख्या/व्ययगत राशि (चूजा क्रय के रसीद का अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)			

Scanned with OKEN Scanner

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

हमारा बिहार

बिहार सरकार

10	फीडमिल का संस्थापन (10000 लेयर मुर्गी क्षमता की स्थिति में)	हाँ/नहीं	
i	क्षमता (प्रति/घण्टा)		फीडमिल का फोटोग्राफ(विभागीय पदाधिकारी एवं लाभार्थी सहित) संलग्न करें ।
11	गोदाम का निर्माण		
i	क्षेत्रफल (वर्ग फीट)		गोदाम का अन्दर एवं बाहर का फोटोग्राफ (विभागीय पदाधिकारी एवं लाभार्थी सहित) संलग्न करें ।
12	स्टाफ रूम का निर्माण		
i	क्षेत्रफल (वर्ग फीट)		स्टाफ रूम के अन्दर एवं बाहर का फोटोग्राफ (विभागीय पदाधिकारी एवं लाभार्थी सहित) संलग्न करें ।
13	स्टोर रूम का निर्माण		
i	क्षेत्रफल (वर्ग फीट)		स्टोर रूम के अन्दर एवं बाहर का फोटोग्राफ(विभागीय पदाधिकारी एवं लाभार्थी सहित) संलग्न करें ।
14	जेनरेटर का संस्थापन		जेनरेटर का फोटोग्राफ (विभागीय पदाधिकारी एवं लाभार्थी सहित) संलग्न करें ।
i	क्षमता.................... के0भी0ए0		
15	अनुमान्य अनुदान की राशि		
16	अभ्युक्ति		

प्रमाणित किया जाता है कि लाभार्थी द्वारा लेयर मुर्गी फार्म का सम्पूर्ण निर्माण संगत कार्यान्वयन अनुदेश एवं स्वीकृति पत्र के अनुरूप पूर्ण कर लिया गया है एवं लाभार्थियों को अनुमान्य अनुदान की राशि का भुगतान किया जा सकता है।

जिला पशुपालन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एव मुहर

दूरभाष संख्या: 0612-221596 ई-मेल: dirahd-bih@nic.in वेबसाइट:state.bihar.gov.in/ahd

Scanned with OKEN Scanner

अनुलग्नक –2

Project Report for establishment of Commercial LAYER POULTRY FARM (10,000 Capacity) with Feed Mill Unit.

	Rate	Amount
A. Capital Investment :-		
• Cost of construction of brooder-cum-grower shed (6,000 sq. ft.)	Rs. 200 / sq.ft.	12,00,000
• Cost of construction of layer shed (8,000 sq. ft.)	Rs. 250 / sq.ft.	20,00,000
• Cost of construction of Staff room (500 sq.ft.)	Rs. 400 / sq.ft.	2,00,000
• Feed Mill Godown, store room etc. (1,500 sq.ft.)	Rs. 800 / sq.ft.	12,00,000
• Cost of Equipments for 10,000 birds	Rs. 125/ bird	12,50,000
• Cost of Feed Mill Plant, Machinery, Silent DG set etc.	-	9,00,000
TOTAL (A)		67,50,000
B. Capital Expenses (Stock) :-		
(for rearing 10,000 Female till start of production).		
• Cost of 10,000 chicks	Rs. 45/bird.	4,50,000
• Cost of 91,000 Kg feed (approx.)	Rs. 25.5/Kg.	23,20,500
• Cost of Electricity, Water, Medicines, Litter, Labour charges, etc.	Rs. 20/bird.	2,00,000
• Cost of vaccination	Rs. 20/bird.	2,00,000
• Insurance - (Infrastructure and Birds)/ Misc.		79,500
TOTAL (B)		32,50,000
Capital Investment TOTAL (A + B)		1,00,00,000
Subsidy & Beneficiary contribution		
Subsidy for General	(@ 30 %)	30,00,000
Beneficiary contribution	(@ 10 %)	10,00,000
Total		40,00,000
Subsidy for SC ST and TSP	(@ 40 %)	40,00,000
Beneficiary contribution	(@ 10 %)	10,00,000
Total		50,00,000
C. Operational Cost :-		
(for rearing one complete cycle of 10,000 Birds)		
• Cost of 10,000 chicks (20 month or 1 cycles)	Rs. 45 /bird.	4,50,000
• Cost of 10,000 x 47.5 Kg feed i.e. 4750 quintal feed	Rs. 2200/qtl.	1,04,50,000
• Cost of Electricity, Water, Medicines, Litter, Labour charges, etc. (Rounded)	10% of feed cost	10,45,000
• Cost of Insurance - (Infrastructure and Birds)	--	63,000
TOTAL (C)		1,20,08,000
D. Income :-		
• Sale of 35,00,000 Eggs (350 Eggs/ Hen, average)	Rs. 4.50/Egg	1,57,50,000
• Sale of 9,000 culled Hen	Rs 70/bird	6,30,000
• Sale of Gunny bags (9500 bags)	Rs.10/bag	95,000
• Sale of Manure (4000 quintal).	Rs. 50/quintal	2,00,000
TOTAL (D)		1,66,75,000
E. Gross Profit :-		
• Income (D)		1,66,75,000
• Expenditure (C)		1,20,08,000
TOTAL (E)		46,67,000
F. Net Profit :- FOR GENERAL (Subsidy @ 30%) [illegible]	[illegible]	[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

• Gross Profit		46,67,000
LESS (-)		
a. Depreciation on Building i.e. on 46.00 lakh	(@10 %)	-4,60,000
b. Depreciation on Equipments i.e. on 21.50 lakh	(@15%)	-3,22,500
c. Repayment of loan principal amount i.e. on 60.00 lakh (in four years)	-	-15,00,000
c. Interest on loan i.e. on 60.00 lakh	(@ 12 %)	-7,20,000
ADD (+) Subsidy on interest @50% of total interest		3,60,000
TOTAL (F)		-26,42,500
NET PROFIT (Rs. Per year)		20,24,500
G. Net Profit :- FOR SC ST & TSP (Subsidy @ 40%)		
• Gross Profit		46,67,000
LESS (-)		
a. Depreciation on Building i.e. on 46.00 lakh	@10 %	-4,60,000
b. Depreciation on Equipments i.e. on 21.50 lakh	@15%	-3,22,500
c. Repayment of loan principal amount i.e. on 50.00 lakh (in four years)	---	-12,50,000
c. Interest on loan i.e. on 50.00 lakh	(@ 12 %)	-6,00,000
ADD (+) Subsidy on interest @50% of total interest	---	3,00,000
TOTAL (F)		-23,32,500
NET PROFIT (Rs. Per year)		23,34,500

20/5/25

सरकार के अपर सचिव

2200
20/05/2025

Scanned with OKEN Scanner

(6)

Project Report for Establishment of Commercial Layer Poultry Farm (5,000 Capacity).

A. Capital Investment :-	Rate	Amount
• Cost of construction of brooder-cum-grower shed (3,000 sq. ft.)	Rs. 200 / sq.ft.	6,00,000
• Cost of construction of layer shed (4,000 sq. ft.)	Rs. 250 / sq.ft.	10,00,000
• Cost of construction of Staff room (250 sq.ft.)	Rs. 400 / sq.ft.	1,20,000
• Godown/ store room etc. (500 sq.ft.)	Rs. 800 / sq.ft.	4,00,000
• Cost of Equipments for 5,000 birds	Rs. 125/ bird	6,25,000
• Cost of Silent DG set etc.		4,00,000
TOTAL (A)		31,45,000
B. Capital Expenses (Stock) :-		
(for rearing 5,000 Female till start of production).		
• Cost of 5,000 chicks	Rs. 45 /bird.	2,25,000
• Cost of 45,500 Kg feed (approx.)	Rs. 26/Kg.	11,60,250
• Cost of Electricity, Water,Medicines, Litter, Labour charges, etc.	Rs. 25/bird.	1,25,000
• Cost of vaccination	Rs. 25/bird.	1,25,000
• Insurance - (Infrastructure and Birds)		50,000
• Miscellaneous		19,750
TOTAL (B)		17,05,000
Capital Investment TOTAL (A + B)		48,50,000
Subsidy & Beneficiary contribution		
Subsidy for General	(@ 30 %)	14,55,000
Beneficiary contribution		4,85,000
Total		19,40,000
Subsidy for SC ST and TSP	(@ 40 %)	19,40,000
Beneficiary contribution		4,85,000
Total		24,25,000
C. Operational Cost :-		
(for rearing one complete cycle of 5,000 Birds)		
• Cost of 5,000 chicks (20 month or 1 cycles)	Rs. 45/bird.	2,25,000
• Cost of 5,000 x 47.5 Kg feed i.e. 2375 quintal feed	Rs.2300/qtl.	54,62,500
• Cost of Electricity, Water, Medicines, Litter, Labour charges, etc. (Rounded)	10% of feed cost	5,46,250
• Cost of Insurance - (Infrastructure and Birds)	--	32,000
TOTAL (C)		62,65,750
D. Income :-		
• Sale of 17,50,000 Eggs (350 Eggs / Hen average)	Rs. 4.5/Egg	78,75,000
• Sale of 4,500 culled Hen	Rs 70/bird	3,15,000
• Sale of Gunny bags (4750 bags)	Rs.10/bag	47,500
• Sale of Manure (2000 quintal).	Rs. 50/quintal	1,00,000
TOTAL (D)		83,37,500
E. Gross Profit :-		

Scanned with OKEN Scanner

• Income (D)		83,37,500
• Expenditure (C)		62,65,750
TOTAL (E)		20,71,750
F. Net Profit :- FOR GENERAL (Subsidy @ 30%)		
• Gross Profit		
LESS (-)		20,71,750
a. Depreciation on Building i.e. on 21.20 lac	@10 %	-2,12,000
b. Depreciation on Equipments i.e. on 10.25 lac	@15%	-1,53,750
c. Repayment of loan (principal) i.e. on 29.10 lac (in four years)	---	-7,27,500
c. Interest on capital i.e. on 29.10 lac	(@ 12 %)	-3,49,200
ADD (+) Subsidy on interest @50% of total interest	---	1,74,600
TOTAL (F)		-12,67,850
NET PROFIT (Rs. Per year)		8,03,900

F. Net Profit :- FOR SC ST & TSP (Subsidy @ 40%)		
• Gross Profit		
LESS (-)		20,71,750
a. Depreciation on Building i.e. on 21.20 lac	@10 %	-2,12,000
b. Depreciation on Equipments i.e. on 10.25 lac	@15%	-1,53,750
c. Repayment of loan principal amount i.e. on 24.25 lac (in four years)	---	-6,06,250
c. Interest on capital i.e. on 24.25 lac	(@ 12 %)	-2,91,000
• ADD (+) Subsidy on interest @50% of total interest)	---	1,45,500
TOTAL (F)		-11,17,500
NET PROFIT (Rs. Per year)		9,54,250

सरकार के अपर सचिव

2200
20/05/2025

Scanned with OKEN Scanner